CNR NO. UPDE 0100 3380 2026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी–धनेन्द्र प्रताप सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा)--UP2016

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1374/2026

धीरेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र रामप्रवेश गौड़
निवासी–महुआरी, थाना–हाटा, जिला–कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।

प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिपक्षी,
मुकदमा अपराध संख्या–350/2026
धारा–105 भा0 न्या0 सं0
थाना–कोतवाली, जिला–देवरिया।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **धीरेन्द्र कुमार गौड़,** जो अपराध संख्या–350/2026, धारा–105 भा0 न्या0 सं0, थाना–कोतवाली, जनपद देवरिया के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथकर्ता रामप्रवेश गौड़, द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

3. प्रथम सूचनाकर्ता अनिकेत यादव द्वारा थाना कोतवाली, जिला देवरिया में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गई कि उसके पिता जी स्व0 सुरेश यादव को ध्रुप देव फाउन्डेशन के अंतर्गत नशा मुक्ति केन्द्र बेलडाड मोड देवरिया में दिनांक 16.05.2026 को भर्ती कराया गया ताकि वो नशे से मुक्त हो सके, किन्तु दिनांक 21.05.2026 को रात्रि 09:18 बजे नशा मुक्ति केन्द्र से फोन आया कि सुरेश यादव की तबीयत खराब है, आप आकर ले जाये, हम लोग नशा मुक्ति केन्द्र पहुंचे तो सुरेश यादव हमें अचेत अवस्था में मिले। हम लोग लेकर उन्हें मेडिकल कालेज लेकर आये, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। हम लोग मृतक को लेकर अपने घर चले गये। अंतिम संस्कार के बीच में हम लोग उनके शरीर पर काफी चोट की निशाने दिखाई दी जिसका हमने फोटो व वीडियो बनाया है। लोगों के कहने पर उन्होंने 112 एवं कोतवाली को सूचना दिया ताकि पोस्टमार्टम हो सके और सही मृत्यु का कारण पता चल सके। उन्हें अंदेशा है कि नशा मुक्ति केन्द्र वालों ने उन्हें बेरहमी से पीटा है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। अतः उचित कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है।

4. प्रथम सूचनाकर्ता के उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर दिनांक 29.05.2026 को अभियुक्त नशा मुक्ति केन्द्र के कर्मचारी के विरूद्ध थाना–कोतवाली, जिला–देवरिया में मुकदमा अपराध संख्या–350/2026, अंतर्गत धारा–105 भा0 न्या0 सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः ये तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उसे स्थानीय पुलिस ने रंजिशन फंसाया है। प्रार्थी का उक्त कथित अपराध या घटना से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई सरोकार नहीं है और न ही वह कथित धूप देव फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र का संचालक या प्रबंधक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का नामजद उल्लेख नहीं है और न ही उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट या विशिष्ट भूमिका (Specific Role) का आरोप लगाया गया है तथा उसको केवल सामान्य व संदेहास्पद आधार पर आरोपी बनाया गया है। कथित मृतक सुरेश यादव को अत्यधिक नशे (Severe Addiction) और उससे उत्पन्न गंभीर मानसिक व शारीरिक व्याधियों के कारण उनके परिजनों द्वारा ही केंद्र में भर्ती कराया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त नशा मुक्ति केंद्र में केवल एक साधारण सेवादार के रूप में कार्यरत है, जिसका कार्य केवल भर्ती मरीजों की देखरेख में सहयोग करना है, न कि किसी प्रकार का प्रबंधकीय या दंडात्मक निर्णय लेना। दिनांक 21.05.2026 को मृतक की तबीयत अत्यधिक नशे के विड्रॉल सिम्पटम्स या किसी आंतरिक चिकित्सीय जटिलता के कारण अचानक खराब हुई थी, जिसकी सूचना प्रार्थी/अभियुक्त या केंद्र प्रबंधन द्वारा तत्काल तत्परता से वादी के परिवार को दी गई थी। यदि प्रार्थी/अभियुक्त या केंद्र के कर्मचारियों की कोई बदनियती या आपराधिक मंशा होती, तो वे वादी के परिवार को स्वयं फोन कर सूचना न देते और न ही शव को उनके सुपुर्द करने में सहयोग करते तथा उसका आचरण पूरी तरह से निर्दोषता को दर्शाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलंब से और सोच–विचार कर, कानूनी परामर्श के पश्चात, केवल झूठी कहानी गढ़कर और प्रार्थी व अन्य कर्मचारियों को प्रताड़ित करने व अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से दर्ज कराई गई है। कथित प्राथमिकी केवल अंदेशा (संदेह) के आधार पर दर्ज की गई है। कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, केवल संदेह या आशंका किसी भी व्यक्ति को सलाखों के पीछे रखने का वैध आधार नहीं हो सकती। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा–105 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत गैर–इरादतन हत्या (Culpable Homicide not amounting to murder) का कोई भी आवश्यक तत्व (Mens Rea या आपराधिक आशय) प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं होता है। कथित पोस्टमार्टम रिपोर्ट या चोटों के निशान के संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त का कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि मृतक को केन्द्र में लाने से पूर्व भी शारीरिक रूप से प्रताड़ित या अस्वस्थ होने की पूरी संभावना थी, जिसका परीक्षण विवेचना का विषय है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली किसी भी ठोस व विश्वसनीय जमानत एवं

मुचलके को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मामले की विवेचना में काफी समय लगने की संभावना है और प्रार्थी/अभियुक्त को बिना किसी ठोस न्यायिक निष्कर्ष के अनिश्चितकाल के लिए जेल में बंद रखना न्यायिक सिद्धांतों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। उपरोक्त अपराध संख्या में सह अभियुक्तों की जमानत श्रीमान जी के न्यायालय से हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.05.2026 से जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता के पिता को मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की गई, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। अपराध की गंभीरता एवं दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए, जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् रूप से अवलोकन किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित केस डायरी एवं संबंधित अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता के पिता को मारपीट कर गंभीर उपहति कारित करके उसके पिता की मृत्यु किये जाने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना–पत्र में अभियोजन के उपरोक्त कथनों से इंकार किया गया है। घटना दिनांक 21.05.2026 की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.05.2026 को विलम्ब से दर्ज करायी गई है एवं विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। मृतक सुरेश यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Injury No.1, Abrasion 04 cm x 01cm left ankle. Injury No. 2, Abrasion 03 cmx 1.5 cm both wrist अंकित है तथा मृत्यु का कारण Could not be ascertained अंकित है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक के पोस्टमार्टम में उसके शरीर के किसी मर्म स्थल पर प्राणघातक चोटे आने का कोई अंकन नहीं है। स्वाभाविकतः चोटों की प्रकृति साधारण रही है।

धारा–105 भारतीय न्याय संहिता के अपराध के गठन के लिए अभियुक्त के आशय का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मृतक को जान से मारने की नियत से उपहति कारित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसी कोई चोट दर्शित नहीं है, जो कि प्राणघातक हो और उससे मृत्यु कारित होना अति संभावित हो। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

9. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर बिना विचार व्यक्त किये, उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **धीरेन्द्र कुमार गौड़** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा **मु0–1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) की दो प्रतिभू एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध–पत्र** संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर, प्रस्तुत करने के उपरान्त निम्न शर्तों के साथ, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. प्रार्थी/अभियुक्त इस केस में नियत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित होगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त गवाहान को डरायेगा, धमकायेगा नहीं एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं के निवास स्थान एवं उनके प्रतिभू के निवास स्थान में परिवर्तन में इसकी सूचना न्यायालय को उपलब्ध करायेगा।

4. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में परीक्षण के दौरान जब अभियोजन के साक्षी, साक्ष्य हेतु उपस्थित रहेंगे, तब किसी आधार पर स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

5. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत के दौरान अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। यदि वह अपराध की पुनरावृत्ति करते हुए पकड़ा जाये तो वह जमानत निरस्त किये जाने का आधार होगा।

इस आदेश में दिये गये निष्कर्ष मामले के गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेंगे।

दिनांक–23.07.2026

(धनेन्द्र प्रताप सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।